(1)

236

R-667-I-17

समक्ष मानूनीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../.............../............................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री प्यारेलाल गौंड उम्र 52 वर्ष पिता श्री धन सिंह गौंड
जाति गौड (आदिवासी)
निवासी-79, वार्ड नं. 15, ग्राम संकुही खुख्कम तह. कुण्डम जिला जबलपुर।

विरूद्ध -

अनावेदक - 1. मेसर्स खमेर प्लांटेशन प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर श्री जतिन दरियानी पिता श्री सत्यपाल दरियानी (गैर आदिवासी)
पता-म.नं. 46, ए.पी. आर कॉलोनी, कटंगा, तह. व जिला जबलपुर

2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

25 JAN 2017 **पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा-50, के तहत् प्रस्तुत की जा रही है**

1. मानूनीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 160/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दि. 26/09/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा-50, के तहत् यह पुनरीक्षण प्रस्तुत की जा रही है।

प्यारेलाल गौंड विरूद्ध मे. खमेर प्लांटेशन आदि

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - 667-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 160/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-9-16 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक प्यारेलाल गौंड द्वारा ग्राम डोली प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 93 रकबा 2.000 हैक्टर अनावेदक क्रमांक-1/गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । कलेक्टर ने उक्त आवेदन आलोच्य आदेश द्वारा ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त कियाग या है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायसम्मत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि विद्वान जिलाध्यक्ष द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण के तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है । जिलाध्यक्ष द्वारा इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय हेतु आवेदित भूमि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की स्वअर्जित भूमि है उक्त भूमि आवेदक को शासन द्वारा	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । आवेदक के अनुसार प्रस्तावित अंतरण से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । कलेक्टर ने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमि के अतिरिक्त ग्राम सनकुही में 4.22 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्को में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया हैं, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण कलेक्टर, जबलपुर का आलोच्य आदेश दिनांक26-9-16 निरस्त किया जाता है तथा यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके स्वामित्व की ग्राम डोली प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 93 रकबा 2.000 हैक्टर को गैर आदिवासी अनावेदक क्रमांक - 1 को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।	

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - 667-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	